

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 490/ वाद सं० एल-008/एस-12/2026

दिनांक: 7/5/2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

विपक्षी ताहिर अन्सारी, हरभजवाला नियर फॉरेस्ट चौकी डी०एस०पी० चौक शिमला बाईपास रोड देहरादून, द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल में भू-विन्यास कर अवैध प्लानिंग का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश (उत्तर प्रदेश नगर महायोजना एवं विकास अधिनियम 1973) के अन्तर्गत संशोधित अधिनियम 2009 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस एवं निर्माण कार्य रोकने हेतु नोटिस भेजते हुए वाद संख्या एल-008/एस-12/2026 योजित किया गया था। उक्त चालानशुद्धा अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15/5/26 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



पी०अधि०/संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

प्रतिलिपि:—1 नायब तहसीलदार देहरादून, को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र सं० 1205/ विविध-जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

2—पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3—थानाध्यक्ष पटेलनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4—सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5—नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को ध्वस्तीकरण से संबन्धित समस्त सामग्री संबन्धित सहायक अभि०/अव० अभि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6—ताहिर अन्सारी, हरभजवाला नियर फॉरेस्ट चौकी डी०एस०पी० चौक शिमला बाईपास रोड देहरादून को इस आशय से प्रेषित उपरोक्त तिथि को स्थल पर उपस्थित रह कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें शेष नियम व शर्त पूर्व प्रेषित पत्रांक-5220 दिनांक-28.03.2026 के अनुसार मान्य होगी।



पी०अधि०/संयुक्त सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।